भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/172

विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.91/30.01.021/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I – प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3

बी. प्रयोज्यता 3

सी. व्याख्याएं 3

अध्याय II - निदेशक मंडल की भूमिका 5

अध्याय III – हरित जमाओं की स्वीकृति हेतु रूपरेखा 6

ए. नीति 6

बी. जमा राशि का मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और अवधि 6

सी. वित्तपोषण ढाँचा 7

डी. जुटाई गयी राशि का उपयोग 9

ई. तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन 11

एफ. प्रभाव आकलन 12

जी. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण 13

अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान 14

ए. निरसन और बचाव 14

बी. अन्य कानूनों के प्रयोग पर रोक नहीं 15

सी. व्याख्याएं 15

परिचय

यह मास्टर निदेश (एमडी) जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित लागू दिशानिर्देशों के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को जलवायु परिवर्तन जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने, जलवायु परिवर्तन जोखिम संबंधी विचारों को अपने मौजूदा जोखिम प्रबंधन ढाँचों और संरचनाओं में एकीकृत करने और ग्रीनवाशिंग चुनौतियों पर काबू पाने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और इस प्रकार ग्राहकों को उनके संधारणीयता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सक्षम बनाना है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों / कानूनों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई यह समाधान पाते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसकारण एतदद्वारा निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - जलवायु वित्त और जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश वाणिज्यिक बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंक(कों)' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, 'वाणिज्यिक बैंकों' का अर्थ बैंकिंग कंपनियों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा), संबंधित नए बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से है, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी), (डीए), और (एनसी) के तहत क्रमशः परिभाषित किया गया है।

सी. व्याख्याएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, यहां प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा:

(1) 'हरित गतिविधियाँ / परियोजनाएँ' का अर्थ इन निदेशों के अनुच्छेद 14 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियाँ / परियोजनाएँ हैं;\

(2) 'हरित जमा' का अर्थ है एक निश्चित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त सब्याज जमा राशि, जिसकी आय हरित वित्त के लिए आवंटित की जाती है;

(3) 'हरित वित्त' का अर्थ है इन निदेशों के अनुच्छेद 14 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को ऋण देना और / या उनमें

निवेश करना। ऐसा ऋण जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन और आघात-सहनीयता, तथा अन्य जलवायु-संबंधी या पर्यावरणीय उद्देश्यों - जिनमें जैव विविधता प्रबंधन और प्रकृति-आधारित समाधान शामिल हैं - में योगदान देता है;

(4) 'ग्रीनवाशिंग' का अर्थ है उत्पादों / सेवाओं का हरित रूप में विपणन करना, जबकि वास्तव में वे हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के रूप में परिभाषित की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयुक्त शब्दावली, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत दिया गया है।

अध्याय II - निदेशक मंडल की भूमिका

6. हरित जमा राशि जुटाने के इच्छुक बैंक को हरित जमाओं और वित्तपोषण ढाँचा (फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क) (एफएफ) पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक नीतियाँ लागू करनी होंगी, जिनका विवरण इन निदेशों के क्रमशः अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 11 में दिया गया है।

7. निदेशक मंडल इन निदेशों के अनुच्छेद 19 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बैंक की हरित जमा पहलों की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय III – हरित जमाओं की स्वीकृति हेतु रूपरेखा

ए. नीति

8. बैंक की हरित जमाओं पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति, हरित जमाओं के जारी करने और आवंटन के सभी पहलुओं को विस्तार से निर्धारित करेगी। 'हरित जमाओं' पर नीति की एक प्रति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। हरित जमाओं पर एक समान वैश्विक नीति रखने वाला कोई विदेशी बैंक भारत में हरित जमाओं को जारी करने के लिए उसी नीति का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में, विदेशी बैंक अपनी वेबसाइट पर हरित जमा नीति उपलब्ध कराएगा। कोई बैंक किसी भी हरित गतिविधि / परियोजना को वित्तपोषित कर सकता है, चाहे उसके लिए हरित जमा राशि जुटाई ही ना गयी हो। हालाँकि, कोई बैंक पहले हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को वित्तपोषित और उसके बाद उसके लिए हरित जमा राशि नहीं जुटा सकता।

बी. जमा राशि का मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और अवधि

9. बैंक हरित जमाओं को संचयी / गैर-संचयी जमाओं के रूप में जारी करेगा। परिपक्वता पर, जमाकर्ता के विकल्प पर हरित जमाओं का नवीनीकरण या निकासी की जा सकेगी। हरित जमा केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित होंगे, किसी विदेशी मुद्रा में नहीं। यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 में परिभाषित अवधि, आकार, ब्याज दर और अन्य नियम व शर्तें, यथावश्यक परिवर्तनों सहित हरित जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

स्पष्टीकरण:

(1) बैंक के लिए हरित जमाओ को जुटाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वह अपने ग्राहकों से हरित जमाओं को जुटाने का इरादा रखता है तो उन्हें यहां निर्धारित रूपरेखा का पालन करना चाहिए।

(2) ऊपर उल्लिखित मौजूदा दिशा-निर्देश किसी बैंक को हरित जमाओं पर ब्याज की विभेदक दर की पेशकश करने की अनुमति नहीं देते हैं

(3) बैंक अपने ग्राहकों को सहमत नियमों और शर्तों तथा पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार, जुटाई गई राशि के आवंटन / उपयोग पर ध्यान दिए बिना, हरित जमाओं पर ब्याज का भुगतान करेगा।

(4) हरित जमाओं की समयपूर्व निकासी के संबंध में, कोई प्रतिबंध नहीं होने पर भी, बैंक को पूर्वोक्त निदेशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, समयपूर्व निकासी का हरित जमाओं से जुटाई गई राशि का उपयोग करके की जाने वाली गतिविधियों / परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस रूपरेखा के अंतर्गत जुटाई गई जमाराशियाँ, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा कवर की जाती हैं।

10. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में निहित निदेशों के अधीन, हरित जमाओं पर ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की अनुमति है।

सी. वित्तपोषण ढाँचा

11. किसी बैंक द्वारा स्थापित निदेशक मंडल-अनुमोदित वित्तपोषण ढाँचा (एफएफ) अन्य बातों के साथ-साथ, हरित जमाओं के प्रभावी आवंटन के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करेगा:

(1) पात्र हरित गतिविधियाँ / परियोजनाएँ जिन्हें हरित जमाओं के माध्यम से जुटाई गई राशि से वित्तपोषित किया जा सकता है (जैसा कि इन निदेशों के अनुच्छेद 14 में अनुमत है);

स्पष्टीकरण:

(i) इस रूपरेखा के अंतर्गत वित्तपोषित हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों [मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 दिनांक 24 मार्च, 2025] जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ii) किसी बैंक द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के (एसजीआरबी) में निवेश इस रूपरेखा के अंतर्गत आता है।

(2) बैंक द्वारा परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया, जिसमें पात्र श्रेणियों के भीतर ऋण / निवेश के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करना, उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी संबंधित / आवश्यक सूचनाओं की निगरानी और सत्यापन शामिल है;

(3) हरित जमाओं से जुटाई गयी राशि का आवंटन और उसकी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन, और प्रभाव आकलन; और

(4) हरित जमाओं से जुटाई गयी राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण (जो केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 में परिभाषित स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों में, अधिकतम एक वर्ष की मूल अवधि तक) पात्र गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए उनके आवंटन तक होगा।

स्पष्टीकरण:

(i) बैंक हरित जमाओं से जुटाई गयी राशि को, पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए आवंटन तक, एक वर्ष की अधिकतम परिपक्वता अवधि वाले चलनिधि लिखतों में अस्थायी रूप से रख सकता है।

(ii) यद्यपि यह रूपरेखा पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए जुटाई गई राशि के आवंटन न करने पर किसी दंड का प्रावधान नहीं करती है, फिर भी यह पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होगा।

12. **बाह्य समीक्षा -** बैंक अपने एफएफ की बाह्य समीक्षा करने की व्यवस्था करेगा।

13. एफएफ के कार्यान्वयन से पूर्व, एफएफ की एक प्रति बाह्य समीक्षक की राय के साथ बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

डी. जुटाई गयी राशि का उपयोग

14. हरित जमाओं से जुटाई गयी राशि का आवंटन आधिकारिक भारतीय हरित वर्गीकरण पर आधारित होगा। वर्गीकरण को अंतिम रूप दिए जाने तक, एक अंतरिम उपाय के रूप में, बैंक हरित जमाओं से जुटाई गयी राशि को उन हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए आवंटित करेगा जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती हैं, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हैं, जलवायु आघात-सहनीयता और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देती हैं, साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों और जैव विविधता का मूल्यांकन और सुधार करती हैं। पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	**विवरण**
नवीकरणीय ऊर्जा	• सौर / पवन / बायोमास / जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को एकीकृत करती हैं। • नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

श्रेणी	विवरण
ऊर्जा दक्षता	• इमारतों और संपत्तियों में ऊर्जा-कुशल और ऊर्जा-बचत प्रणालियों और प्रतिष्ठानों की डिजाइन और निर्माण। • लाइटिंग प्रणाली में सुधार (उदाहरण के लिए, एल ई डी लगाना)। • नई कम कार्बन वाली इमारतों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा इमारतों के लिए ऊर्जा-दक्षता रेट्रोफिट का समर्थन करना। • बिजली ग्रिड हानियों को कम करने के लिए परियोजनाएं।
स्वच्छ परिवहन	• परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं। • चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाना।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से परियोजनाएं।
धारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन	• जल कुशल सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना। • परिवहन, उपचार और निपटान प्रणालियों सहित अपशिष्ट जल अवसंरचना की स्थापना / उन्नयन। • जल संसाधन संरक्षण। • बाढ़ रक्षा प्रणाली।
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण	• वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीनहाउस गैस नियंत्रण, मृदा उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा / उत्सर्जन-कुशल अपशिष्ट-से-ऊर्जा को लक्षित करने वाली परियोजनाएं।
हरित इमारतें	• उन इमारतों से संबंधित परियोजनाएं जो पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों या प्रमाणपत्रों को पूरा करती हैं।
जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का धारणीय प्रबंधन	• कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रबंधन। • वनीकरण / पुनर्वनीकरण सहित धारणीय वानिकी प्रबंधन। • प्रमाणित जैविक खेती को सहायता। • जीवित संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण पर अनुसंधान।
स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	• तटीय और समुद्री वातावरण से संबंधित परियोजनाएं। • जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं, जिसमें लुप्तप्राय

श्रेणी	विवरण
	प्रजातियों, आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण शामिल है।

बहिष्करण

• सुधार और उन्नयन सहित जीवाश्म ईंधन के नए या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं; या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म-ईंधन आधारित है।

• परमाणु ऊर्जा उत्पादन।

• प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण।

• शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, या पाम तेल उद्योग।

* संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, फीडस्टॉक में मुख्य रूप से सीवेज, खाद, अपशिष्ट जल, बगैस, बायोमास, लकड़ी के पैलेट आदि शामिल हैं।

• लैंडफिल परियोजनाएं।

• 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्र।

ई. तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन

15. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा हरित जमाओं के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का आवंटन वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन के अधीन होगा। तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन से बैंक, निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा, जिसके लिए उसे अन्य ऋणों की तरह आंतरिक जाँच और संतुलन की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन निदेशों के अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 14 में निर्धारित रूपरेखा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त रूप से पूरी की जाने वाली शर्तें और नियम अतिरिक्त जाँच बिंदु हैं जिनका बैंक को निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पालन करना होगा।

स्पष्टीकरण: कोई बैंक हरित जमाओं की बाहरी समीक्षा, तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन, और हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के लिए किसी भी उपयुक्त और प्रतिष्ठित घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संपर्क कर सकता है।

16. तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट में न्यूनतम निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

(1) बैंक द्वारा जुटाई गयी राशि का उपयोग पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। यह जुटाई गई जमाराशियों के विरुद्ध आवंटित धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा।

(2) नीतियाँ और आंतरिक नियंत्रण, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई सभी संबंधित / आवश्यक सूचनाओं का सत्यापन, और रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण शामिल हैं।

एफ. प्रभाव आकलन

17. बैंक, बाहरी फर्मों की सहायता से, वित्तीय वर्ष के दौरान हरित वित्त गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए उधार दी गई या निवेश की गई धनराशि के प्रभाव का प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से वार्षिक रूप से करेगा।

प्रभाव संकेतकों की व्याख्यात्मक सूची नीचे सारणीबद्ध है। यदि कोई बैंक अपने उधार / निवेश के प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ है, तो उसे कम से कम, कारणों, आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान के लिए समयबद्ध योजनाओं का खुलासा करना होगा।

योग्य परियोजना श्रेणी	**प्रभाव संकेतक - उदाहरण**
नवीकरणीय ऊर्जा	कुल नवीकरणीय क्षमता (MWh में)
	प्रति वर्ष उत्पन्न ऊर्जा (MWh)
	प्रति वर्ष बचाए गए जीएचजी उत्सर्जन (टन CO2 समतुल्य, tCO2e में मापा जाता है)
अपशिष्ट प्रबंधन	प्रति वर्ष लैंडफिल से कचरा अन्यत्र ले जाया जाता है (tonnes)
स्वच्छ परिवहन	प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचा जाता है (tCO2e)
	नए स्वच्छ परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण (km)

योग्य परियोजना श्रेणी	प्रभाव संकेतक - उदाहरण
	उत्पादित इलेक्ट्रिक या कम उत्सर्जन वाले वाहनों की संख्या
ऊर्जा दक्षता	प्रति वर्ष ऊर्जा बचत (MWh)
	प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचा जाता है (tCO2e)
वनीकरण / पुनर्वनीकरण	जीएचजी उत्सर्जन कम हो गया / कार्बन पृथक्करण हासिल किया गया (tCO2e में मापा गया)

जी. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

18. बैंक अपनी वेबसाइट पर तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

19. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर अपने निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(1) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हरित जमाओं के अंतर्गत जुटाई गई राशि;

(2) हरित गतिविधियों / परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए आय आवंटित की गई है, साथ ही परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण;

(3) पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को आवंटित राशि;

(4) तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव आकलन रिपोर्ट।

20. वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित आवश्यकताओं के लिए, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 का संदर्भ लेगा।

अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

21. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वाणिज्यिक बैंक को प्रयोज्य हरित जमाओं की स्वीकृति हेतु संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश संबंधित निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से संप्रेषित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

22. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं के प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा संचालित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(1) इसके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और किसी भी ऐसे जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के प्रयोग पर रोक नहीं

23. इन निदेशों के प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अप्रभावी करने वाले।

सी. व्याख्याएं

24. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई यदि आवश्यक समझे तो यहाँ शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)

मुख्य महाप्रबंधक